

कार्यालय अधिष्ठाता

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक...4232/स्था/अराज/18/

जबलपुर दिनांक 6-12-18

संशोधन

कार्यालयीन पत्र क्रमांक 8851/स्था/अराज/2018, जबलपुर 15/11/2018 के द्वारा जारी विज्ञप्ति सूचना में नोट के क्रमांक 2 में अंकित "सरल क्रमांक 01 से 14 तक समस्त पदों में मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी आरक्षण नियम का पालन किया जाएगा" के स्थान पर निम्नानुसार पढ़ा जायें-

" सरल क्रमांक 01 से 20 तक समस्त पदों में मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी आरक्षण नियम का पालन किया जाएगा"



अधिष्ठाता

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस
मेडिकल कालेज जबलपुर